

नम्बर
अहमद
हुक्म
म.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 77/2020 उपखण्ड

श्री भोजा मुतदाविया कुमावत निःशुल्क रकमीमाता तहकरेडा वरि

--प्रार्थी।

1-श्री मांगू 90 कस्तूर कुमावत निःशुल्क रकमीमाता तहकरेडा वरि

--विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 10/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के
हत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रकमीमाता पटवार हल्का पावडी भू0अ0नि0 क्षेत्र निम्नलिखित
उनके खाता संख्या 80 की आ0नं 180 रकम 0.05 विघा

स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य
पंजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।
जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/8/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण
को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से
पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की
हैरा-फैरी होने का अदंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों
का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया
जाकर ग्राम रकमीमाता पटवार हल्का पावडी भू0अ0नि0 क्षेत्र निम्नलिखित में उनके खाता
संख्या 80 की आ0नं 180 रकम 0.05 विघा

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की
पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि. निम्नलिखित 4.00/- रुपये
कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये
मुस्तकिल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।
सलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी
सदर करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी
सदर करेडा जिला भीलवाडा